परामर्श संख्या-4

सं॰ - ए - 110012 /08 /2020 /सी.ए.क्यू एम. -आर. डी.- 110 - 113

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षत्रों में,

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

इंडियन आयल भवन, 1, श्री औरोबिन्दो मार्ग,

युसूफ सराय, नई दिल्ली-110016

दिनांक: 22, फ़रवरी, 2021

सेवा में,

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

आयोग की ओर से परामर्श

विषय: सड़क एवं सड़क के साथ खुले क्षेत्रों आदि में धूल प्रदूषण को कम करना: सड़क मालिक/सड़क निर्माण एजेन्सियों द्वारा " धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ" का गठन |

महोदय,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने अपनी 20.01.2021 को आयोजित बैठक में समीक्षा की कि मार्ग में धूल, प्रदूषण का एक बड़ा श्रोत है जो कि पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Matters) के लिए पी. एम. 10 और पी.एम. 2.5 बढाने में महत्वपूर्ण कारक है | धूल प्रदूषण पर नियंत्रण करना एक बड़ी चुनौती रहा है और एनसीआर में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है |

2. बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यवृत में शामिल करके दिनांक 01.02 .2021 के पत्र संख्या 110018/14/2020/ सी. ए. क्यू. एम. और दिनांक: - 12.02.2021 के अगले पत्र संख्या ए -110012/08/2020/ सी. ए. क्यू. एम. - आर. डी. 100 के तहत परिचालित किया गया था |

3. आयोग का मत था कि सड़क मालिक एजेंसियों और निर्माण एजेंसियों को विभिन्न धूल नियंत्रण उपायों को लागू एवं देखरेख करने के लिए प्रभावी भूमिका निभानी होगी |

4. आयोग ने इसलिए 20.01.2021 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया कि सभी राज्य सरकारें / जी. एन. सी. टी. डी. के सभी मार्ग मालिक/ मार्ग निर्माण एजेंन्सियों को सलाह दी जाए की वह "धूल नियंत्रण एवं प्रबंधन प्रकोष्ठों" का गठन करें जिसका विशेष कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी सड़कों पर चल रही परियोजनाओं पर धूल नियंत्रण उपायों पर निगरानी एवं कार्यान्वयन होगा | यद्यपि धूल कम करने/नियंत्रण के कार्य में सी. पी. सी. बी. और एस. पी. सी. बी. / डी. पी. सी. सी. देखरेख और प्रवर्तन सम्बन्धी कार्य जारी रखेंगे।

5. इस पृष्ठभूमि में, राज्य सरकारों/ जी.एन.सी. टी. डी. को परामर्श दिया जाता हैं कि नगर पालिका निकायों सहित सभी सड़क मालिक/ सड़क निर्माण एजेंसियों को "धूल नियंत्रण, एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ" का गठन करें और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उनके द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं का परिचालन करें|

6. इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई से आयोग को 03 सप्ताह के अंदर सूचित किया जाए|

भवदीय

हस्ता०

(राजेश कुमार)

सचिव, सी.ए.क्यू एम. एवं ए. ए.

rajesh.k64@gov.in

Tele. No. 011-20861978

प्रतिलिपि :

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन, जीएनसीटीडी
2. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़
3. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
4. प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
5. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड